बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

पेयजल संकट प्रबंधन हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया

Standard Operating Procedure For Drinking Water Crisis Management

दूरभाष संख्या 0612–2215600

राज्य नियंत्रण कक्षः 0612–2217305

Fax- 0612-2217786

Website:http://disastermgmt.bih.nic.in

E-mail id–secy-disastermgmt-bih@nic.in

आपदा प्रबंधन विभाग

पेयजल संकट प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

प्रस्तावना

राज्य में सुखाड़, भीषणगर्मी तथा अल्प वर्षापात के कारण पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती है। दक्षिण–पश्चिम मॉनसून के कमजोर रहने के कारण जून–सितम्बर माह में पर्याप्त वर्षा नहीं होने तथा जाड़े के मौसम में भी मॉनसून के कमजोर होने के कारण राज्य में पेयजल संकट गहरा हो जाता है। खास कर गंगा के दक्षिण के 17 जिले पेयजल संकट प्रवण जिले माने जाते हैं। पेयजल संकट से मनुष्य ही नहीं वरन् मवेशी भी प्रभावित होते हैं। पेयजल संकट की पहचान आसन्न संकट की दशा में पूर्व तैयारियाँ तथा संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन/निदेश/अनुदेश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में पेयजल संकट के प्रबंधन हेतु अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का निर्धारण आवश्यक है।

मानक संचालन प्रक्रिया के उद्देश्य

मानक संचालन प्रक्रिया पेयजल संकट के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों के कार्यों में निम्न रूपेण सहायक होगा :–

1. जिम्मेवार विभागों/संगठनों के बीच पेयजल संकट की स्थिति से निपटने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करना।
2. पेयजल संकट के प्रभावों एवं तीव्रता के आकलन हेतु आवश्यक सूचनाओं को एकत्र करना एवं इसके लिए संबंधित आवश्यक निर्देश देना।
3. पेयजल संकट से निपटने हेतु आकस्मिक कार्ययोजना बनाना एवं इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

1. संस्थात्मक ढाँचा

राज्य कार्यकारिणी समिति

1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। संबंधित अधिसूचना सं0 1597 दिनांक 25.06.2008 (**अनुलग्नक I पर है**)। यह समिति राज्यस्तर पर पेयजल संकट प्रबंधन कार्यक्रमों का समन्वय करेगी। उक्त समिति पेयजल संकट प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकार के किसी भी विभाग, प्राधिकार या निकाय को आवश्यक निर्देश दे सकेगी।

नोडल विभाग

1.2 मानव पेयजल प्रबंधन का मुख्य कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार मवेशियों के लिए पेयजल प्रबंधन का उत्तरदायी विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। परन्तु पेयजल संकट के गंभीर हो जाने की दशा में संकट प्रबंधन का नोडल विभाग आपदा प्रबंधन विभाग होगा तथा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव राज्य स्तर पर राज्य कार्यकारिणी समिति के निदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे।

राज्य सरकार के अन्य विभाग/संगठन

1.3 पेयजल संकट प्रबंधन में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं संगठनों की अहम भूमिका होती है। सभी विभाग अपने–अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल संकट प्रबंधन में अपनी भूमिका का निवर्हन करेंगे। जिन विभागों/संगठनों की पेयजल संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, वे हैं :

1. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
3. लघु जल संसाधन विभाग
4. नगर विकास विभाग

5. उर्जा विभाग

6. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

7. संबंधित नगर निकाय

<u>आपातकालीन प्रबंधन समूह</u>

1.4 राज्य स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु समय–समय पर आपातकालीन प्रबंधन समूह गठित किया जाता है। आपातकालीन प्रबंधन समूह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होता है जिसमें संबंधित विभागों के सचिव/प्रधान सचिव सदस्य होते है। पेयजल संकट प्रबंधन हेतु आपातकालीन प्रबंधन समूह का गठन निम्नवत् होगाः–

1.	मुख्य सचिव–	अध्यक्ष
2.	विकास आयुक्त–	सदस्य
3.	सचिव/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग–	सदस्य
4.	सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग–	सदस्य
5.	सचिव/प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग–	सदस्य
6.	सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग–	सदस्य
7.	सचिव/प्रधान सचिव, उर्जा विभाग–	सदस्य
8.	अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत पर्षद–	सदस्य
9.	सचिव/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग–	सदस्य सचिव

आपातकालीन प्रबंधन समूह पेयजल संकट की तीव्रता को देखते हुए समय–समय पर बैठके आयोजित करेगा तथा संकट से निपटने हेतु विभिन्न विभागों की आकस्मिक योजनाओं तथा उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा लिये गये निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होंगे। आपातकालीन प्रबंधन समूह में मुख्य सचिव द्वारा आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभाग अथवा संगठन को आमंत्रित किया जा सकेगा।

<u>जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार</u>

1.5 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 25 (2) के अनुसार राज्य के सभी जिलों में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार गठित है। संबंधित अधिसूचना संख्या 1502 दिनांक 13.6.2008 **(अनुलग्नक–II पर संलग्न है)**। उक्त

प्राधिकार पेयजल संकट प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। पेयजल संकट प्रबंधन का निदेश एवं नियंत्रण (कमांड एवं कन्ट्रोल) जिला पदाधिकारी के हाथों में होगा जो राज्य कार्यकारिणी समिति/आपातकालीन प्रबंधन समूह एवं सरकार की नीति, मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के आलोक में कार्य करेंगे। वे घटना कमांडर (Incident Commander)के रूप में कार्य करेंगे तथा आवश्यक होने पर इस उत्तरदायित्व को जिले के किसी अन्य वरीय पदाधिकारी को भी सौंप सकेंगे। पेयजल संकट से जुड़े हुए विभागों के जिला स्तरीय तथा आवश्यकतानुसार केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेन्सियों के जिला में पदस्थापित पदाधिकारी घटना कमांडर के निदेशानुसार पेयजल संकट प्रबंधन का कार्य करेंगे। इसी प्रकार जिला स्तर के नीचे की तमाम प्रशासनिक ईकाईयाँ, यथा अनुमंडल एवं प्रखंड, अपने–अपने कार्य क्षेत्र में पेयजल संकट प्रबंधन के लिए घटना कमांडर के पर्यवेक्षण एवं दिशा निर्देशन में संबंधित विभागों के कार्यों का समन्वय करेंगी।

विभागीय नोडल पदाधिकारी

1.6 कंडिका 1.3 पर अंकित सभी विभाग पेयजल संकट प्रबंधन के लिए किसी वरीय विभागीय पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे। नोडल पदाधिकारी आपातकालीन प्रबंधन समूह तथा राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अनुपालन तथा पेयजल संकट से निपटने हेतु विभागीय आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर समन्वयक का कार्य करेगा।

2. पेयजल संकट प्रबंधन की पूर्व तैयारियाँ

गंगा के दक्षिण के 17 जिलों में प्रायः मानसून की अनियमित वर्षा होती है। खासकर मगध प्रमंडल में प्रायः मॉनसून के अनियमित आगमन की सूचना रहती है। ये 17 जिले सुखाड़ प्रवण जिले माने जाते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि राज्य के शेष जिलों में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होती हो। हाल में वर्ष 2009–10 में राज्य के 26 जिलों को सुखाड़ग्रस्त (प्राकृतिक आपदाग्रस्त) घोषित किया गया था। वर्ष 2010–2011 में राज्य के सभी जिलों को सुखाड़ग्रस्त (प्राकृतिक आपदाग्रस्त) घोषित किया गया। अतएव यह आवश्यक है कि राज्य के सभी जिलों में पेयजल संकट की पहचान तथा उससे निपटने के लिए पूर्व तैयारियाँ कर ली जाएँ। ऐसा होने से संकट आने की दशा में प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित रिस्पॉस एवं राहत कार्यों में सहूलियत होगी तथा संकट से प्रभावित व्यक्तियों एवं पशुओं की कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा। अतएव पेयजल संकट से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों के क्रम में निम्न कार्रवाईयां की जायेंगी :

पेयजल संकट की पहचान

2.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा लघु जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों, विशेषकर दक्षिण बिहार के 17 जिलों, में विभागीय मापदण्ड के अनुसार भूजल स्तर की माप समय–समय पर की जाएगी। यदि यह ज्ञात होता है कि भू–जल का सामान्य स्तर गत वर्ष की तुलना में नीचे जा रहा हो, चापाकलों से पानी आहरित करने में दिक्कत आ रही हो अथवा चापाकल बेकार हो रहे हों एवं कुआँ–आहर–तालाब सूख रहे हों, तो उक्त विभाग संबंधित जिला पदाधिकारियों तथा आपदा प्रबंधन विभाग को ससमय सूचित करेंगे। इन विभागों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे यथानुसार भू–जल स्तर का सतत् अनुश्रवण करेंगे ताकि पेयजल संकट से निपटने के लिए आवश्यक कार्रवाईयाँ समय पर सुनिश्चित की जा सकें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट की सूचना प्राप्त होते ही उसे मुख्य सचिव एवं यथानुसार आपदा प्रबंधन समूह के अभिज्ञान में लाया जायेगा ताकि

संकट से निपटने के लिए ससमय आवश्यक तैयारियाँ की जा सकें। आपदा प्रबंधन समूह यथानुसार जल संकट प्रबंधन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग को सुपरिभाषित उत्तरदायित्व सौंप सकेगा।

<u>आकस्मिक योजना का सूत्रण</u>

2.2 पेय जल संकट की संभावना नजर आते ही संबंधित जिलों में मानव तथा पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जायेगा। आकस्मिक योजना के सूत्रण की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों की होगी जो विभागीय अनुदेशों एवं जिला पदाधिकारियों के दिशा निर्देश में आकस्मिक योजना तैयार करेंगे। इस कार्य में लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा। आकस्मिक योजना में, अन्य बातों के अलावा, निम्न तत्वों का समावेश रहेगा :

- पारंपरिक जल स्त्रोतों की पहचान एवं आवश्यकतानुसार उनकी सफाई/ गहरीकरण की योजना। पारंपरिक जल स्त्रोतों से अभिप्रेत है, वे जल स्त्रोत जो मानव एवं पशुओं की प्यास बुझाने के काम आते हैं, जैसे कुआँ, चुआँ, तालाब, आहर, झील इत्यादि।

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अथवा अन्य विभागों/निकायों द्वारा गाड़े गये चापाकलों की स्थिति का भौतिक सत्यापन तथा अकार्यरत चापाकलों की विशेष/ साधारण मरम्मति की योजना।

- नए चापाकलों के गाड़ने की चालू एवं आकस्मिक योजना।

- लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक दोष/ विद्युत दोष के कारण बन्द पड़े नलकूपों को कार्यरत करने की योजना। इस योजना का सूत्रण संयुक्त रूप से लघु जल संसाधन विभाग तथा बिहार राज्य विद्युत पर्षद के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने विभागीय

अनुदेशों के अधीन किया जाएगा। परंतु यह योजना भी जिला आकस्मिक योजना के अविभाज्य अंग के रूप में रहेगी।

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर निकायों की जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति का भौतिक सत्यापन एवं यांत्रिक/ विद्युत दोषों के त्वरित निराकरण की योजना।

- उन क्षेत्रों की पहचान जहाँ पेयजल संकट है अथवा जहाँ पेयजल संकट होने की संभावना है।

- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक होने पर टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। अतएव जलापूर्ति करने हेतु जल स्त्रोतों एवं रास्तों की पहचान की जाएगी। जल स्रोतों के रूप में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जलापूर्ति संयंत्रों एवं लघु जल संसाधन विभाग के नलकूपों की पहचान की जाएगी। ऐसे जल स्त्रोतों की पहचान की जायगी जहाँ से पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों की दूरी न्यूनतम हो।

- आवश्यक होने पर निजी नलकूपों से भी पेय जलापूर्त्ति की जाएगी।

- पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा जलापूर्ति करने हेतु रूट चार्ट।

- जलापूर्ति हेतु टैंकरों तथा ट्रैक्टरों की आवश्यकता का आकलन एवं व्यवस्था। इस हेतु नगर निकाय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण या अन्य विभाग के टैंकरों का उपयोग किया जाएगा। अधिक टैंकरों की जरूरत पड़ने पर यथानुसार भाड़े पर टैंकरों की व्यवस्था की जा सकेगी। इस हेतु दर का निर्धारण जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाएगा। आवश्यक होने पर विभाग द्वारा दर निर्धारण किया जा सकेगा।

- अगर टैंकरों की कमी हो तो सेन्टैक्स जैसी टंकियों के जरिये जलापूर्ति की व्यवस्था की जा सकेगी।

- ट्रैक्टर के साथ–साथ आवश्यकतानुसार बैलगााड़ी, घोड़ागाड़ी, टायरगाड़ी इत्यादि का उपयोग भी टैंकरों/ टंकियों के माध्यम से जल पहुँचाने के कार्य में किया जा सकता है। अतएव स्थानीय संसाधनों की पहचान कर लेनी होगी।

- बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों से जल की लिफ्टींग हेतु डी0जी0 सेट की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार इसके भाड़े का निर्धारण।

- प्रखंड स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन गैंगमैन की टीमों का गठन तथा टीमों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण। स्थायी गैंगमैन की कमी की स्थिति में संविदा/ आउटसोर्सिंग के आधार पर गैंगमैनों की व्यवस्था।

- आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था ताकि पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जा सके।

- पशु शिविरों के लिए उचित स्थलों की पहचान। इस बात का विशेष ध्यान दिया जायगा कि पशु शिविर यथा संभव जल स्त्रोतों के पास हों।

- नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर विकास विभाग के अनुदेशों के अनुसार पेय जलापूर्ति की आकस्मिक योजना का सूत्रण किया जाएगा। यह योजना भी जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देश में नगर निकायों के आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी।

2.3 अन्य संबंधित विभागों द्वारा पूर्व तैयारियाँ

2.3.1 **<u>लघु जल संसाधन विभाग:</u>** यह विभाग पेय जल संकट की सूचना प्राप्त होते ही अपने राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सक्रिय करेगा। साथ ही भूजल रिचार्ज की विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नलकूपों की

स्थिति की सघन एवं नियमित समीक्षा प्रारंभ करेगा। विभाग का दायित्व होगा कि वह अधिकाधिक नलकूपों को कार्यरत बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए।

2.3.2 **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागः** यह विभाग पशुओं के समक्ष उत्पन्न होने वाले पेय जल एवं चारा संकट की सतत निगरानी करेगा। पेय जल एवं चारा संकट की सूचना मिलते ही यह अपने राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सक्रिय करेगा। साथ ही पशु शिविरों हेतु आकस्मिक योजना सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु यह विभाग राज्य स्तर पर नोडल विभाग होगा। आकस्मिक योजना में निम्नांकित बिन्दु अवश्य शामिल किए जाऐंगेः

- पशु शिविरों हेतु स्थल चयन(स्थल ऐसी जगह होने चाहिए जहाँ जल की पर्याप्त व्यवस्था असानी से हो सके। जैसे– लघु जल संसाधन विभाग के चालू नलकूप के समीप का स्थल।
- पशुओं को पशु शिविरों में पहुँचाने की व्यवस्था।
- पशु शिविर के अन्तर्गत अस्थायी शेड का निर्माण।
- पीने का पानी एवं नाद की व्यवस्था।
- पशु चारा की व्यवस्था।
- बीमार पशु के इलाज के लिए दवा की व्यवस्था।
- पशुपालकों एवं विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था।

2.3.3 **बिहार राज्य विद्युत पर्षदः** जलापूर्ति संयंत्रों एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत दोषों के त्वरित निवारण हेतु सभी आवश्यक कदम ऊर्जा विभाग/ बिहार राज्य विद्युत पर्षद द्वारा उठाए जाएंगे। इसके लिए पर्षद द्वारा संबंधित विभागों से समन्वय कर आकस्मिक योजना का सूत्रण एवं कार्यान्वयन किया जाएगा।

2.3.4 **नगर विकास विभागः** यह विभाग नगर निकायों में पेयजल संकट प्रबंधन हेतु आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। साथ ही पेय जल संकट की आहट मिलते ही संबंधित नगर निकायों को विभाग द्वारा सक्रिय कर दिया जाएगा।

जिला टास्क फोर्स का गठन

2.4 जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स का गठन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। जिला टास्क फोर्स द्वारा आकस्मिक योजना के कार्यान्वयन का सघन अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी। टास्क फोर्स में अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, तथा लघु जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य रहेंगे। यथानुसार उक्त टास्क फोर्स में संबंधित नगर निकायों के आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी को शामिल किया जायेगा।

जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी

2.5 जिला स्तर, अनुमंडल स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर जिला प्रशासन के किसी पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा जो पेय जल संकट प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। इसके अलावा टास्क फोर्स में शामिल सभी विभाग जिला स्तर पर विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे जो अपने–अपने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आकस्मिक योजनाओं के लिए समन्वयक का कार्य करेंगे।

जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना

2.6 जिला स्तर पर जल संकट की सतत् निगरानी की जाएगी तथा जल संकट की आहट मिलते ही जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष/फैक्स संख्या की जानकारी संचार माध्यमों से आम जन को दी जाएगी ताकि जनसाधारण द्वारा जल संकट की सूचना प्रशासन को दी जा सके तथा प्रभावी कदम उठाया जा सके।

राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना

2.7 राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग मानव पेयजल प्रबंधन की आकस्मिक योजनाओं के सूत्रण एवं कार्यान्वयन का मुख्य नोडल विभाग होगा तथा राज्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगा। राज्य नियंत्रण कक्ष की दूरभाष/ फैक्स संख्या की जानकारी संचार माध्यमों से आम जन को दी जाएगी। यह नियंत्रण कक्ष आम जन तथा अन्य स्त्रोंतों से पेय जल संकट के संबंध में प्राप्त शिकायतों/ सूचनाओं पर विभाग के स्तर पर उचित कार्रवाई का उत्तरदायी होगा। साथ ही पेय जल संकट से निबटने हेतु की गयी कार्रवाईयों से आम जन एवं मीडिया को भी समय–समय पर अवगत करायेगा। जल संकट गहराने की दशा में आपदा प्रबंधन विभाग में गठित आपात्कालीन संचालन केंद्र को सक्रिय कर दिया जाएगा। आपात्कालीन संचालन केंद्र सभी संबंधित जिलों एवं विभागों के साथ समन्वय का कार्य करेगा।

पेय जल संकट प्रबंधन हेतु निधि की व्यवस्था

2.8 संबंधित विभाग यथा संभव अपने विभागीय बजट से पेयजल संकट प्रबंधन हेतु निधि की व्यवस्था करेंगे। यथानुसार राज्य आपदा रिस्पांस कोष के मानदर के अनुसार विभागों/जिलों को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक निधि उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य आपदा रिस्पांस कोष द्वारा निर्धारित मानदर अनुलग्नक V पर संलग्न है।

आकस्मिक योजना के क्रियान्वयन हेतु सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय प्रक्रियाओं का शिथिलीकरण

2.9 यदि आकस्मिक योजना के त्वरित कार्यान्वयन में सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाओं के शिथिलीकरण की आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित करेंगे। उक्त प्रस्तावों पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 50 के अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा।

3. पेयजल संकट के दौरान की जाने वाली कार्रवाईयाँ

भू–जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण किसी क्षेत्र विशेष में चापाकलों से पानी खींचने में कठिनाई होने लगे अथवा चापाकल सूखने की स्थिति में पहुँच जाएँ तथा कुएँ, आहर एवं तालाब सूखने लगें तो माना जाएगा कि उक्त क्षेत्र विशेष में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पेयजल संकट के दौरान मानव तथा यथानुसार मवेशियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निम्न कार्रवाइयाँ की जाएंगी :–

नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना

3.1 राज्य एवं जिला नियंत्रण कक्ष के साथ ही अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिए जाएंगे। इन नियंत्रण कक्षों में प्राप्त होने वाली सूचनाएँ तथा उन पर कृत कार्रवाईयों से संबंधित कागजातों का दस्तावेजीकरण (DOCUMENTATION) किया जाएगा। इसके लिए नियंत्रण कक्षों में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा जिसमें आने वाली सूचनाओं तथा की गयी कार्रवाईयों का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा।

जिला टास्क फोर्स की बैठक

3.2 पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आवश्यकतानुसार प्रतिदिन की जाएगी। स्थिति सुधरने पर साप्ताहिक बैठक होगी।

टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था

3.3 आकस्मिक योजना के अनुसार पहचाने गये गाँवों, जहाँ पेयजल संकट शुरू हो गया हो, में टैंकरों के माध्यम से जल पहुँचाने एवं वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कार्य जिला प्रशासन की देख–रेख में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। टैंकरों से जल पहुँचाने एवं वितरण के समय विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने हेतु पुलिस अधीक्षकों द्वारा आवश्यकतानुसार पुलिस बल तैनात किया जाएगा। टैंकरों से जिस गाँव/टोलों में जल वितरण किया जाना होगा, वहाँ जल वितरण के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। किसी गाँव में प्रतिदिन भेजे जानेवाले टैंकरों की संख्या तथा प्रति व्यक्ति

जल की आपूर्त्ति का आकलन कर तद्नुरूप कार्रवाई की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन जल स्रोतों से जल भेजा जा रहा है वह जल पीने योग्य है। विभागीय कनीय/ सहायक अभियंता अपने–अपने क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा जल पहुँचाने एवं वितरण कार्य का सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

नए जल स्रोतों की पहचान

3.4 जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में नए भू–जल श्रोतों की पहचान के लिए राष्ट्रीय भू–जल बोर्ड की मद्द ली जाएगी। इस प्रकार चिन्हित जल श्रोतों से जल के दोहन के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

नये चापाकलों एवं नलकूपों का अधिष्ठापन

3.5 जहाँ भू–जल उपलब्ध हो वहाँ भू–जल की गहराई के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नये चापाकलों के अधिष्ठापन के कार्य में तेजी लायी जाएगी। उसी प्रकार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार नये नलकूपों का अधिष्ठापन कर जल के नए स्रोत उपलब्ध कराए जाएँगे। कड़े एवं चट्टानी भू–भागों में नए नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक रिग मशीन की व्यवस्था किराए के आधार पर की जा सकेगी।

पुराने चापाकलों की मरम्मति

3.6 अकार्यरत तथा कालक्रम में खराब होने वाले चापाकलों की मरम्मति के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गठित गैंगमैनों की टीम पूरी तरह से सक्रिय कर दी जाएगी। टीम को पर्याप्त साजो–समान से लैस किया जाएगा। यदि नियमित गैंगमैन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग संविदा/आउट सोर्सिंग से गैंगमैन की सेवाएँ ले सकेगा। प्रखंड स्तर पर गैंगमैनों की टीमों के बीच क्षेत्रों का बंटबारा कर दिया जाएगा, जो लगातार क्षेत्र का भ्रमण करती रहेंगी तथा अकार्यरत चापाकलों की मरम्मत करती रहेंगी। अकार्यरत चापाकलों की सूचना नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होने पर भी गैंगमैनों की संबंधित टीमों को मरम्मत के लिए भेजा जाएगा। गैंगमैनों की टीमें दिन भर किये गये कार्य का ब्यौरा उसी दिन शाम

को प्रखंड नियंत्रण कक्ष में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देंगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता अकार्यरत चापाकलों के मरम्मति का सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

शहरी क्षेत्रों में जल संकट का मुकाबला

3.7 नगर विकास विभाग द्वारा नगर निकायों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाएंगे। जहाँ कहीं चापाकलों में पानी का स्तर नीचे जाने, चापाकलों के अकार्यरत हो जाने अथवा जलापूर्त्ति योजनाओं के द्वारा जलापूर्त्ति नहीं होने की स्थिति में जल संकट के दृष्टान्त प्रकाश में आयेगें, वहां आवश्यकतानुसार टैंकरों के माध्यम से भी जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। टैंकरों से जल वितरण के समय विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर निकायों को पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा।

नलकूपों को कार्यरत बनाए रखना

3.8 लघु जल संसाधन विभाग नलकूपों को कार्यरत रखने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करेगा। चूँकि टैंकरों से जल पहुँचाने के लिए नलकूपों से जल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, अतएव जिन–जिन नलकूपों की पहचान जल स्रोतों के रूप में की गयी हो, उन्हें चालू रखने के लिए ऑपरेटरों सहित विभाग की मोबाइल टीमें कार्य पर लगी रहेंगी। मोबाइल टीमों में सामान्य यांत्रिक एवं विद्युत दोषों का निराकरण कर सकने वाले मिस्त्री विभागीय पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। इन मोबाइल टीमों को आवश्यक साजो–सामानों एवं वाहनों से लैस किया जाएगा। इनके बीच नलकूपों का बँटवारा इस प्रकार किया जाएगा ताकि जिले के सभी कार्यरत नलकूपों की नियमित निगरानी हो सके।

जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण

3.9 बिहार राज्य विद्युत पर्षद द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग एवं नगर निकायों के साथ सतत् संपर्क कर जलापूर्त्ति योजनाओं

एवं नलकूपों के विद्युत दोषों का निवारण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए पर्षद द्वारा अपने स्थानीय पदाधिकारियों को सुपरिभाषित दायित्व सौंपे जाएंगे।

जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों को विद्युत आपूर्त्ति

3.10 बिहार राज्य विद्युत पर्षद द्वारा जलापूर्त्ति योजनाओं एवं नलकूपों को नियमित विद्युत आपूर्त्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्त्ति हेतु रोस्टर व्यवस्था लागू की जा सकेगी। परंतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा ताकि आम जन तद्नुसार अपने घरों में जल का प्रबंधन कर सकें।

मवेशी शिविरों को कार्यरत करना

3.11 आवश्यकतानुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा पशु शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पेयजल एवं चारे की व्यवस्था की जाएगी। पशु शिविरों के स्थान एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी संचार माध्यमों के जरिये आमजन तक पहुँचाई जाएगी।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक

3.12 आवश्यकतानुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जिले में उत्पन्न जल संकट तथा उससे निपटने के लिए किये जा रहे कार्रवाइयों की नियमित समीक्षा की जाएगी। जब कभी प्राधिकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार संबंधित एजेन्सियों को निदेश देने की आवश्यकता पड़ेगी प्राधिकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक निदेश देगा तथा अन्य प्रबंधन करेगा।

आपातकालीन प्रबंधन समूह की बैठक

3.13 आपातकालीन प्रबंधन समूह द्वारा नियमित बैठक कर जिलों में व्याप्त जल संकट से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की जाती रहेगी। जहाँ कहीं वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी, आपातकालीन प्रबंधन समूह आवश्यक निर्णय ले सकेगा। उक्त निर्णय सभी संबंधित विभागों पर बाध्यकारी होंगे।

<u>रेलवे से पानी की ढुलाई</u>

3.14 पेयजल संकट की स्थिति गहराने के साथ संभव है कि रेलवे से भी प्रभावित जिलों में जल के टैंकर भेजने पड़ें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में रेलवे तथा अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावित जिले के निकटतम रेलवे स्टेशन तक जल पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। उक्त रेलवे स्टेशन से संबंधित जिलों तक जल ले जाने तथा उसके भंडारण की व्यवस्था का दायित्व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का होगा।

****